केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 09.02.2017

वक्तब्य/ समाचार अंश का खण्डन

सीबीआई द्वारा आपराधिक दण्ड संहिता के दुरूपयोग के सम्बन्ध में मीडिया के कुछ क्षेत्रों में श्री राजेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. के ब्लाग में उनके द्वारा लगाए आरोप पर प्रकाशित/ प्रसारित वक्तब्य/ समाचार अंश का सीबीआई दृढ़ता से खण्डन करती है।

सीबीआई के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत, आधारहीन एवं भ्रामक हैं। अदालत को नियत सूचना देते हुए कानून के प्रावधानों के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार एवं अन्यों के विरूद्ध धन के संदिग्ध परिचालन के सन्दर्भ में दो विशेष मुद्दों से सम्बन्धित इस मामले में आगे की जॉंच को जारी रखा गया है।

आपराधिक दण्डसंहिता की धारा 173(8) कहती है:- इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिर्पोट भेजे जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नही समझी जायेगी तथा जहॉं ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहॉं वह ऐसे साक्ष्य के सम्बन्ध में अतिरिक्त रिर्पोट या रिर्पोटें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबन्ध ऐसी या रिर्पोटों के बारे में जहॉं तक हो सके, ऐसे लागू होगें, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिर्पोट के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

यह कथन कानूनी तौर पर तर्कसंगत नहीं है कि आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173(8) में आरोप पत्र दायर होने के पश्चात " पूरी तरह से नये साक्षों " के आने पर ही आगे की जॉंच की अनुमति देती है।

वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है एवं कानून के तहत अदालत में श्री राजेन्द्र कुमार को अपने बचाव हेतु सभी अवसर उपलब्ध हैं। सीबीआई अपने आदर्श वाक्य यथा उद्यमिता, निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा की प्रतिबद्धता दोहरती है।

आप से अनुरोध है कि अपने कल के समाचार पत्र/ चैनल में उक्त खण्डन को पूर्ण रूप में शीघ्र एवं प्रमुखता से प्रकाशित/ प्रसारित करें।

****